न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— सचिन यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या: 49/22 दायर दिनांक: 29.11.22

जीसीएमएस नं. 2022/352

अनौखी पत्नि नवाबसिंह जाति जाट नि. छौंकरवाडा कलां, तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

—प्रार्थीया

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता— 1.श्री छोटेलाल मीना —प्रार्थीया
2.पैरोकार सरकार —अप्रार्थी

<u>निर्णय दिनांक 12.06.2024</u>

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 718 रकबा 0.47 हैक्टे. वाके ग्राम छौंकरवाडा खुर्द तह. भुसावर में स्थित है, जिसका पुराना ख.नं. 467 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा है। जिसके 45/118 हिस्से की प्रार्थीया खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है।

प्रार्थीया ग्राम छौंकरवाडा कलां की निवासी है तथा छौंकरवाडा कलां में ही वर्तमान में निवास कर रही है। जिसका इन्द्राज भी उक्त आराजी के पूर्व राजस्व रिकॉर्ड संवत 2056—2059 व संवत 2060—2063 में दर्ज खातेदार के रूप में प्रार्थीया का निवास स्थान छौंकरवाडा दर्ज कर रखा है, जो सही दर्ज किया हुआ है। लेकिन हाल की जमाबन्दी संवत 2075—2078 में प्रार्थीया का निवास स्थान भुसावर के रूप में अंकित कर दिया है। जो कि बिल्कुल गलत है। जिसके कारण प्रार्थीया को उक्त आराजी के बाबत राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायताओं से भी वंचित होना पड रहा है। और ना ही कृषि ऋण लेने से भी महरूम हो रही है।

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि मेरा निवास स्थान राजस्व रिकॉर्ड में भुसावर के स्थान पर छौंकरवाडा कलां सही किया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गई। नोटिस की ताईद में अप्रार्थी तहसीलदार, भुसावर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। मुताबिक जवाब तहसीलदार, भुसावर अवगत कराया गया है कि प्रार्थीया वास्तव में भुसावर की निवासी न होकर छौंकरवाडा कलां की निवासी है।

हमने बहस अधिवक्तागण पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जैसे नकल जमाबन्दी, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, परिवार कार्ड तथा तहसीलदार, भुसावर की रिपोर्ट का भली—भाँति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि वाके आ.ख.नं. 718 रकबा 0.47 हैक्टे. के स्थान पर वाके ग्राम छौंकरवाडा खुर्द में प्रार्थीया अनौखी का निवास स्थान भुसावर के स्थान पर छौंकरवाडा कलां दुरूस्त राजस्व रिकॉर्ड किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)